न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0 सं0–229/1995

सुरेन्द्र प्रताप सिंह – वादी

बनाम्

भारत भूषण सिंह – प्रतिवादी

08.10.2025

प्रस्तुत आवेदन दिनांक–10.09.2025 प्रतिवादी भारत भूषण सिंह के द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रार्थी द्वारा मुकदमा हाजा में चंद लोक दस्तावेज एवं तीस वर्ष पुराना दस्तावेज दाखिल किया गया है जिसे उचित न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थी की ओर से प्रदर्श चिन्हित होना वास्ते इंसाफ निहायत जरूरी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के तरफ से दाखिल कागजात को प्रदर्श चिन्हित करने का आदेश दिया जाए।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में वादी का कथन है कि सवाल प्रतिवादी तथ्य एवं कानून की दृष्टि से खारिज होने योग्य है। धारा 90 साक्ष्य अधिनियम प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा दाखिल तथा कथित कागजात का कस्टडी प्रुफ नहीं किया गया है जिस वजह से प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात का प्रदर्श चिन्हित नहीं किया जा सकता है। दिनांक–10.10.2025 के द्वारा दाखिल मुदालेह का कागजातों का 30 वर्ष पुराना के क्रम सं0–1 से 5 स्पष्ट नहीं है कि विवादित जमीन से इसका क्या संबंध है जो इरिलीवेंट डाकुमेंट है जिसे साक्ष्य में नहीं लिखा जा सकता है। लोक दस्तावेज को क्रमांक सं0–1 एवं 2 न तो पब्लिक डाकुमेंट है और न ही 30 वर्ष पुराना डाकुमेंट है। मुदालेह के द्वारा दाखिल कागजात बहुत विलंब से दाखिल किया गया है जिसे मिट्स करने का मुदई के साक्ष्य के समय मौका नहीं मिला। अन्य तथ्य के आधार पर सवाल मुदालेह दिनांक–10.09.2025 खारिज करने योग्य है। अतः निवेदन है कि सवाल प्रतिवादी दिनांक–10.09.2025 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है उसमें आवेदन दिनांक–10.09.2025 के क्रमांक 1 में दर्ज डिजिटल कॉपी चकबंदी खतियान पर वादी के द्वारा विरोध दर्ज कराते हुए कहा गया कि इस प्रकार की चकबंदी

खतियान का होना अपने–आप में संदेहात्मक है क्योंकि इनके द्वारा दिनांक–30.08.2025 के द्वारा सूचना के आवेदन के अंतर्गत चकबंदी पदाधिकारी बक्सर के द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार मौजा ब्रहम्पुर थाना 251 में चकबंदी प्रक्रिया बिना पूर्ण हुए रद्द कर दी गयी। वादी के कथित विरोध के आलोक में दस्तावेज का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि यह डिजिटल कॉपी चकबंदी खतियान है जो कि लोक दस्तावेज के बजाप्ता नकल की श्रेणी में साक्ष्य के रूप में तब तक दर्ज नहीं किया जा सकता है जब तक की धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। अतः इस दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। पुनः आवेदन के क्रमांक–2 तथा 30 वर्ष पूराने दस्तावेज के रूप में क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 पर दर्ज दस्तावेज के संबंध में उपयुक्त कस्टडी साक्ष्य के द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः जब तक उक्त दस्तावेजों के संबंध में उपयुक्त कस्टडी को साबित नहीं किया जाता है इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन दस्तावेजों के संदर्भ में भी प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया जाता है। पुनः क्रमांक 3 पर दर्ज मूल सूचना का आवेदन चंकबंदी पदाधिकारी एक व्यक्तिगत दस्तावेज प्रतीत होता है। अतः इसे भी बिना साक्ष्य के द्वारा साबित किए एक साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। पुनः क्रमांक 4,5 एवं 6 में दर्ज दस्तावेज प्रथम दृष्टया एक लोक दस्तावेज प्रतीत होते हैं। अतः इनके संदर्भ में प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी के आवेदन दिनांक–10.09.2025 में क्रमांक–4, 5 एवं 6 पर दर्ज दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिन्हित करें।

दिनांक–..... वास्ते प्रतिवादी के द्वारा प्रतिउत्तर।

लेखापित

सब जज–तृतीय